

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा —


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2370 /2018

दिनांक :16.10.2018

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/2261/2018 दिनांक 06.10.2018 क्रम.-(02) को निरस्त करते हुए श्री दिनेश कुमार गुप्ता (RJ0115), विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, सवाई माधोपुर को दिनांक 20.10.2018 एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 17.10.2018 से 19.10.2018 एवं 21.10.2018 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, सवाई माधोपुर के पद पर ही होने की सम्भावना है ।


आज्ञा से

16.10.18
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/04/1996/ 11033

दिनांक :16.10.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक - दिनांक 16.10.2018 के सन्दर्भ में ।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता (RJ0115), विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, सवाई माधोपुर ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर ।


16.10.2018